न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील विस्फो0 अनु0 207/2019/अजमेर (2019/00207)

आनन्द कुमार पुत्र श्री जम्बू कुमार पाटनी, निवासी पाटनी जनरल स्टोर, मीर गेट, केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 6–च विस्फोटक नियम 1884 सपठित धारा 121 विस्फोटक नियम 2008 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2019/91 दिनांक 21–06–2019

———

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 26/10/2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के नाम आतिशबाजी क्रय विक्रय करने हेतु विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत फार्म 24 में स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2013 जारी किया गया जिसका 2013 से लगातार नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलार्थी ने दिनांक 1–4–2018 से 31–3–2023 तक की अवधि के लिए इस अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने उक्त आवेदन पत्र पर पुलिस अधीक्षक, अजमेर

Scanned with CamScanner

व उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी एवं अग्निशमन विभाग, नगर निगम अजमेर से जांच रिपोर्ट चाही गई। उपखण्ड अधिकारी, अग्नि शमन विभाग, नगर निगम अजमेर ने अपीलार्थी के पक्ष में रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को प्रेषित की परन्तु पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपीलार्थी द्वारा नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र का आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 21–6–2019 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के नाम जारी स्थाई आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2013 को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी के नाम मीर गेट केकड़ी के लिए विस्फोटक पदार्थ के बाबत एक अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2013 वर्ष 2013 से जारी किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 21–6–2019 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का विस्फोटक स्थाई अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। जिसकी सूचना जरिये डाक अपीलार्थी को दिनांक 19–7–2019 को मिली। अपीलार्थी ने उसी दिन अजमेर आकर प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र पर अपलार्थी को दिनांक 31–7–2019 को नकले प्राप्त हुई। अपीलर्थी द्वारा उक्त अपील जानकारी की दिनांक से अपील पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 116 में अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण से इन्कार किये जाने के लिए प्रकिया निर्धारित की गई है जिसमें उल्लेखानुसार "किसी अनुज्ञप्ति के संशोधन या नवीनीकरण से इन्कार करने वाले अनुज्ञज्ञपन प्राधिकारी ऐसे इन्कार करने के कारणों को लेख्बद्ध करेगा तथा अनुज्ञापन अधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करेगा यदि ऐसी अनुज्ञप्ति अधिनियम या इन नियमों के अनुसार प्रतिसंहत की जा सकती है। किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करने के कारणों का संक्षिप्त कथन मांग किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को दिया जायेगा किन्तु ऐसी मामलों में नहीं, जबकि अनुज्ञापन अधिकारी की यह राय हो कि ऐसे कथन प्रस्तुत किया जाना लोकहित में नहीं होगा। जहां अनुज्ञप्तिधारी के नवीनीकरण से इन्कार कर दिया जाता है तो वही नवीनीकरण के लिए संदत फीस अनुज्ञप्तिधारी को उस अवधि के लिए अनुपातिक फीस काट देने के पश्चात लौटा दी जावेगी जो उस तारीख तक की है जिसको उसके नवीनीकरण से इन्कार किया गया है। नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर दिया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने नियम 116 में दी गई प्रकिया की पालना किये बिना ही अपीलार्थी का स्थाई अनुज्ञापत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाइ का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 में केवल निम्न आधारों पर ही स्थाई अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकता है:–

"अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण या रद्दकरण– (1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेगी यदि (क) किसी अुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसरों पर विधिपूर्ण कब्जे का कोई अधिकार समाप्त हो चुका है। (ख) कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्ही दाण्डिक अपराधों के अधीन सिद्धदोष या दण्डादिष्ट किया गया है या दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए परिशांति कायम रखने के लिए किसी बंधपत्र का निष्पादन करने के लिए आदेशित किया गया हो, रद्द हो जायेगी, यदि कोई निराक्षेप प्रमाण पत्र नियम 115 के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे जारी किया था या जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया है। इस अधिनियम या इन नियमों या ऐसी अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट किसी शर्त के किसी उल्लंघन पर अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा

Scanned with CamScanner

यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए समुचित आधार है तो निलंबन या रद्करण किये जाने के लिए दायी होगा। कोई निलंबन या रद्ददकरण उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा। किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्ददकरण के किसी आदेश का तामील होना समझा जावेगा यदि वह अनुज्ञपित में प्रविष्टि अनुज्ञप्तिधारी के पते पर डाक द्वारा भेजा गया है। अपीलार्थी का परिसर मीर गेट केकड़ी पर स्थित है, जिस पर अपीलार्थी को आतिशबाजी बेचने का स्थाई अनुज्ञापत्र मिला हुआ है। अपलार्थी का उक्त परिसर पर आज भी विधिपूर्ण कब्जा है।

अपीलार्थी को दण्डित अपराधों के लिए कभी भी सिद्धदोष या दण्डादिष्ट नहीं किया गया है तथा ना ही अच्छे व्यवहार के लिए किसी बंधपत्र का निष्पादन करने के लिए आदेशित किया गया है। अपीलार्थी ने अनुज्ञापत्र के लिए वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है एवं ना ही जिला मजिस्ट्रेट, के किसी आदेश/निर्देश का उल्लंघन ही किया है।

अपलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन यह दर्शाता है कि प्रार्थी द्वारा फाईल किये गये आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक मात्र कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञप्ति जारी करने की अनुशंषा जारी नहीं की। अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन आवश्यक रूप से स्वयं अपने मैरिट पर निर्धारित किया जाना होता है। इस पकार जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का परिसर मीर गेट केकड़ी में स्थित है, इसी परिसर में आतिशबाजी का विक्रय करने के लिए वर्ष 1997 से स्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। जिन शर्तो के आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है उसकी अक्षरशः पालना की जा रही है। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जो परिसर की स्थिति का वर्णन किया है वह स्थिति वर्ष 1997 में भी थी और उसके पश्चात आ दिनांक तक वैसी ही स्थिति बनी हुई है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपने पत्र कमांक 23753 दिनांक 11–10–2017 में जो रिपोर्ट अंकित की है वह अपीलार्थी के अनुकूल है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित स्थल विस्फोटक नियमों की पूर्ति करता है, प्रस्तावित स्थल पक्की दुकान है। प्रस्तावित स्थल की चौड़ाई 10 फिट एवं लम्बाई 14 फिट है। विस्फोटक सामग्री रखने के लिए पर्याप्त जगह है, प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन की गाडी आसानी से पहुंच सकती है। इस प्रकार जो रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने दिनांक 11–10–2017 को प्रस्तुत की है उसमें वर्तमान में कोई बदलाव नहीं आया है फिर एक अलग रिपोर्ट को आधार मानकर जिला

Scanned with CamScanner

मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी का स्थाई अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के नाम जो स्थाई अनुज्ञा पत्र सख्या 1/2013 जारी किया गया है उसमें समय–समय पर विस्फोटक अधिनियम एव नियमों में किये गये संशोधनों व विद्यमान प्रावधानों की अवहेलना करने पर अनुज्ञापत्र को निरस्त व निलंबित किया जा सकता है। इसी अनुज्ञापत्र के पीछे शर्त अंकित है। इन शर्तो का उल्लघंन करने पर भी अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकता है। अपीलार्थी ने विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटकनियम 2008 के किसी भी प्रावधानों एवं शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है जिसके आधार पर अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत नहीं किया जा सके। नियमों के तहत जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त कर और उसके आधार पर निर्णय पारित करने की व्यवस्था नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा कर दी। विस्फोटक नियम 2008 में जिला पुलिस अधीक्षक को इस प्रकार अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने दिनांक 13–10–2017 को जो रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को प्रेषित की थी उसमें अंकित किया गया है कि वृताधिकारी केकडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को नियमानुसार अनुज्ञा पत्र दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा लगातार अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के स्थाई अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण की अभिंशषा करता आ रहा है। परन्तु अचानक विपरीत रिपोर्ट भेजने का कोई आधार नहीं है जबकि मौके पर परिस्थितियां भी वही है एवं अपलार्थी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश में नियमों/मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने व जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को जारी स्थाई अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में उन नियमों व मापदण्डों का उल्लेख नहीं किया है जिसकी पूर्ति अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया कि अपीलार्थी के मामले में जन सुरक्षा को कैसे खतरा है अपीलार्थी को जिस स्थल के लिए अनुज्ञापत्र दिया गया है उस स्थल की परिस्थितियां पिछले 20 वर्षो से समान रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दीपावली के त्यौहार पर मीर गेट केकड़ी क साथ–साथ इससे भी सकडी गलियों में विस्फोटक पदार्थों का बेचान किया जाता है व इसके लिए अनुज्ञा पत्र दिये जाते है। अपीलार्थी भी

Scanned with CamScanner

दीपावली के त्यौहार पर ही विस्फोटर पदार्थो का भण्डारण व बेचान करता है। ऐसी स्थिति में केवल अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के स्थाई अनुज्ञा पत्र को जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने निरस्त किया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के पिता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 8858/2007 जयन्त कुमार बनाम जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 26–10–2007 को किया गया और जिसमें अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल करने के आदेश दिये तथा जिला मजिस्ट्रेट, को आदेश दिये कि वे अपीलार्थी के नाम से जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करे। इस प्रकार वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है उन परिस्थितियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय ने उचित नहीं माना तथा जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का स्पष्ट आदेश दिये कि वे अपीलार्थी क अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत करे। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए यह आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअअ/न्याय/विस्फोटक/2019/91 दिनांक 21–6–2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी के नाम जारी स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2013 का नवीनीकरण दिनांक 1–04–2018 से 31–3–2023 तक कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान प्रत्यर्थी/राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत ही दीपावली पर्व पर पटाखा व्यवसायियों को पटाखे का क्रय–विक्रय करने हेतु संबंधित पुलिस थाना, तहसीलदार एवं पटवारी हलका एवं शहरी क्षैत्र में नगर पालिका/नगर परिषद की रिपोर्टो के आधार पर विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत ही स्थाई एवं अस्थाई विस्फोटक लाईसेंस जारी किया जाता है। अपीलार्थी के उक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 16 दिनांक 27–5–2019 द्वारा अनुज्ञप्ति मे प्रस्तावित स्थल को विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत जन सुरक्षा व निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाने से अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि हेतु नवीनीकरण नहीं किये जाने में असहमति व्यक्त की है। उक्त रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए मीर गेट, केकडी अत्यधिक भीड़ होने एवं अनहोनी की संभावना को मध्यनजर रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2019/91/दिनांक 21–6–2019 द्वारा अपीलार्थी के स्थाई अनुज्ञापत्र संख्या 01/2013 को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Scanned with CamScanner

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के नाम आतिशबाजी क्रय विक्रय करने हेतु विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत फार्म 24 में स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2013 मीर गेट केकड़ी जिला अजमेर के लिए जारी किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण 2013 से लगातार किया जा रहा था। अपीलार्थी के द्वारा आगामी अवधि 1–4–2018 से 31–3–2023 तक नवीनीकरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से जांच रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमाक 16 दिनांक 27–5–2019 में उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र की जांच कराई गयी। जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित स्थल को विस्फोटक नियमों के अर्न्तत जन सुरक्षा व निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाने के आधार पर आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किये जाने में असहमति व्यक्त की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक न्याय/विस्फोटक/2018/5809–12 दिनांक 28–3–2018 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर, उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर, आयुक्त नगर निगम, अग्नि शमन अधिकारी नगर निगम, अजमेर से 9 बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गई थी। चूंकि उक्त प्रकरण उपखण्ड क्षैत्र केकड़ी के अधीन होने के कारण प्रकरण में जांच रिपोर्ट उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर के स्थान पर केकड़ी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पूर्व में अपीलार्थी को जारी स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2013 जारी किये जाने से पूर्व उपजिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर, नगर निगम अजमेर, एवं तहसीलदार, केकड़ी की जांच रिपोर्ट में भी अपीलार्थी के नाम स्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति नहीं जताई गयी। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक न्याय/विस्फोटक/2018/5809–12 दिनांक 28–3–2018 से उपजिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम, अग्निशमन अधिकारियों की रिपोर्ट का इन्तजार किये बिना ही केवल पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की जांच रिपोर्ट दिनांक अजम/प0के0/स्थायी आ0/2019/16 दिनांक 27–5–2019 में उल्लेख है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र नवीनीकरण हेतु जांच करायी गयी किन्तु जांच किस अधिकारी से एवं किसके द्वारा की गई, का मौका पर्चा आदि संलग्न नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 अनुसार अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञा पत्र तब ही निरस्त कर सकता है जब उसका अनुज्ञप्ति में धारित कब्जे पर अधिकार समाप्त हो चुका हो, या अनुज्ञप्तिधारी को पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक कृत्य करने पर दण्ड दिया

Scanned with CamScanner

गया हो या लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया हो या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो। उक्त तथ्यों के आधार पर ही अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को कभी आपराधिक कृत्य के लिए दण्ड दिया गया है और न ही अपीलार्थी द्वारा विस्फोटक नियमों के अन्तग्रत किसी भी शर्त का उल्लंघन ही किया है। अपीलार्थी द्वारा जब विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 की किसी भी शर्त का उल्लंघन ही नहीं किया है साथ ही अपीलार्थी द्वारा जिला कार्यालय के निर्देशानुसार नवीनीकरण किये जाने की राशि रूप्ये 2500/– भी चालान द्वारा राजकोष में जमा कराने के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा वर्ष 2013 से लगातार हो रहे अपीलार्थी अनुज्ञप्ति संख्या 01/2013 का स्थाई अनुज्ञा पत्र केवल पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट को आधार मानकर निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य सभी विभागों से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर समग्र रूप से विवेचन उपरान्त आख्यात्मक आदेश (Speaking order) पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–2019 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक /2019/91 दिनांक 21–06–2019 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित का अवसर प्रदान करे तथा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर नगर निगम,/नगर पालिका केकड़ी, उपजिला मजिस्ट्रेट केकड़ी से अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति में प्रस्तावित मौका स्थल की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उसका भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर प्राप्त रिपोर्टो के अनुसरण में नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

Scanned with CamScanner